2/12/16	अभिभाषक अपील० / रेस्पो० उपस्थित। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.12.16 को पेश हो।
30.12.16	अभिभाषक अपील० / रेस्पो० उपस्थित। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10.2.17 को पेश हो।
10.2.17	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.02.17 को पेश हो।
11.2.17	पत्रावली लोक अदालत की भावना से निर्णित करने हेतु पेश हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से अपील में जो निर्णय किया जाये वो मन्जूर है। आदेशिका पर वकीलों के हस्ताक्षर कराये गये।
	पत्रावली का अवलोकन करने पर सिद्ध होता है कि पूर्व में तहत न्यायालय द्वारा वाद सं. 1/281/1985 दि० 18/3/16 को डिक्री हुआ था। इस डिक्री की पालना

RDagel
for Respondent
No. 2 to 3

—लगातार—

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही

की जाकर डिक्री इन्तकाल नं. 551 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल हो गया। इसके पश्चात प्रार्थी प्रतिवादी ने अपनी इकतरफा खुलवाने के लिए आदेश 09 नियम 13 CPC का प्रा० पत्र पेश किया, जो खारिज हो गया। फिर, मूल डिक्री दि० 18/3/86 की RAA अलवर के यहाँ अपील हुई, जो दि. 6.10.97 को स्वीकार की जाकर मूल डिक्री 18/3/86 को अपास्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया गया था। अदालत हाजा के इस निर्णय के खिलाफ माननीय BOR अजमेर में निगरानी हुई, जो खारिज की जाकर अदालत हाजा का निर्णय दि. 6.10.97 बहाल रखा गया। इसके बाद प्रार्थी प्रतिवादी ने तहत न्यायालय Sec. 144 CPC का प्रा० पत्र पेश किया, जो अपीलाधीन आदेश दि. 29.3.06 द्वारा स्वीकार कर डिक्री इन्तकाल नं० 551 से पूर्व की स्थिति रेकार्ड में प्रतिस्थापित करने के आदेश दिये गये थे। इसकी यह अपील पेश की गई है।

चूंकि जिस डिक्री दि० 18/3/86

न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	

की पालना में इन्तकाल नं. 551 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल किया गया था, वो डिक्री वर्तमान में फोर्स (प्रभाव) में नहीं है। वो डिक्री अदालत हाजा के निर्णय दि. 6.10.97 द्वारा अपास्त की जा चुकी है, जिस निर्णय को माननीय राजस्व मण्डल ने भी बहाल रखा है। ऐसी स्थिति में डिक्री दि० 18/3/86 की पालना में इन्तकाल नं० 551 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राजात को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान तहत न्यायालय ने इन्तकाल 551 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में आये इन्द्राजात से पूर्व की स्थिति को प्रतिस्थापित करने के जो आदेश अपीलाधीन आदेश द्वारा दिये गये है, उसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दि० 29/3/06 यथावत रखा जाता है। पत्रावली कैसल रुमार हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner